

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

यहाँ फोटो
चस्पा
करें।

जीवित रहने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशन भोगी (नाम) को देखा है और वह तारीख में जीवित है। इनको यूको बैंक/भारती स्टेट बैंक के खाता क्रमांक द्वारा राशि ₹..... मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है।

(X) पेंशनभोगी के हस्ताक्षर

(प्राधिकृत अधिकारी का पद नाम एवं मोहर)

बेरोज़गार रहने/पुनर्नियोजन का प्रमाण-पत्र

1. मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी शासकीय/अशासकीय कार्यालय में नियोजित/पुनर्नियोजन नहीं हुआ हूँ/हुई हूँ।
2. मैं यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् नियोजन स्वीकार किया है और शासन द्वारा इसके साथ लगाई किसी भी शर्त, यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया है। मैंने समाप्त हुई वार्षिकी के दौरान वेतन ₹ एवं भत्ते प्राप्त किये हैं।

स्थान : पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

दिनांक : पेंशनभोगी का नाम

पुनर्विवाह न करने/विवाह न करने का प्रमाण-पत्र (केवल परिवार पेंशन भोगियों के लिये)

मैं एतद् घोषणा करती हूँ/करता हूँ कि मैंने विगत वार्षिकी के दौरान विवाह/पुनर्विवाह नहीं किया है। मैं यह वचन देता हूँ/देती हूँ कि पुनर्विवाह घटना की सूचना विश्वविद्यालय को तुरंत दूंगा/दूंगी।

स्थान : पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

दिनांक : पेंशनभोगी का नाम

//वचन पत्र//

अधोहस्ताक्षरी इस बात से सहमत है और यह वचन देता है कि यदि मेरे पेंशन खाते में पात्रता से अधिक राशि जमा हो जाती है, तो उसे मेरे पेंशन/परिवार पेंशन में से विश्वविद्यालय वसूली करने हेतु अधिकृत होगा।

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

पेंशनभोगी का नाम

साक्षी

भवदीय

(1) हस्ताक्षर

पेंशनभोगी के हस्ताक्षर (X)

नाम:.....

पेंशनभोगी का नाम (X)

पता

पता

.....

.....

फोन/मोबाइल नं.

नोट: 1. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र का सत्यापन बैंक द्वारा कराना अनिवार्य है।

2. जीवित रहने का प्रमाण-पत्र, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की वेबसाइट www.rvskvnet पर भी उपलब्ध है।